उपाबंध

(रिपोर्ट नं. 255)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

भाग 1

प्रारंभिक

2. निर्वचन----(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(ङ) ''निर्वाचक'' से किसी निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में .....

(ङक)''समाचार के लिए संदाय'' से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे किसी मीडिया, एकक, उसमें नियोजित या किसी भी रीति से उससे संबद्ध व्यक्ति को प्रतिफल स्वरूप कीमत हेतु नकद या माल में इलेक्ट्रानिक मीडिया या प्रिंट मीडिया (प्रिंट, रेडियो टेलीविजन और अन्य सभी इलेक्ट्रानिक) में दिखाई पड़ने वाले इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित किसी समाचार या विश्ले-ाण के लिए संदाय किया जाना अभिप्रेत है किंतु इस विधि के अधीन यथापरिभाि-त राजनैतिक विज्ञापन सम्मिलित हैं ;

स्प-टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए ''इलेक्ट्रानिक मीडियाऋ और ''प्रिंट मीडिया'' खंड का वही अर्थ होगा जो धारा 126(क) के खंड (ख) और (ग) में है, ।''

(ङख) ''राजनैतिक विज्ञापन'' से इस बावत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित आवश्यक प्रकटन करने के लिए किसी राजनैतिक दल, राजनैतिक दल के अभ्यर्थी, निर्वाचन लड़ने वाला कोई अन्य व्यक्ति या इससे संबद्ध या उससे सहयोजित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त कोई विज्ञापन अभिप्रेत है ।

(च) ''राजनैतिक दल'' से .....

(छ) ''विहित'' से .....

(ज) ''लोक अवकाश दिन'' से .....

(जक) ''समाचार प्राप्त करने के लिए संदाय'' से इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाि-त राजनैतिक विज्ञापन को सम्मिलित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित किसी समाचार या विश्ले-ाण के लिए किसी भी

रीति में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संदाय प्राप्त करने हेतु कोई मीडिया एकक, उसमें नियोजित या उसे संबद्ध व्यक्ति अभिप्रेत है ।

भाग 2 अर्हताएं और निरर्हताएं

अध्याय 1--संसद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं

4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं----लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि----

(क) अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में, वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(ख) (असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों से भिन्न) अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह (असम के जनजाति क्षेत्रों का अपवर्जन करके) उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों, में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(ग) असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है या किसी ऐसे स्वशासी जिले को समावि-ट करने वाले अन्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(गग) लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(गगग) सिक्किम राज्य को आबंटन में मिले स्थान की दशा में, वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो,

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

परंतु धारा 29क की उपधारा (7) के अधीन निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल ही लोक सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थियों को अग्रेन्ित करने का हकदार होगा ।

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं----किसी राज्य की विधान सभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि----

(क) उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह, यथास्थिति, उन जातियों में से या उन जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(ख) असम *** के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो और उन सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें उस जिले के लिए ऐसा स्थान या कोई अन्य स्थान आरक्षित है निर्वाचक न हो, तथा

(ग) किसी अन्य स्थान की दशा में वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो :

परन्तु अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) में निर्दि-ट कालावधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैण्ड की विधान सभा में ट्यूनसांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दि-ट प्रादेशिक परि-ाद् का सदस्य न हो ।

परंतु यह और कि धारा 29क की उपधारा (7) के अधीन निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल ही लोक सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थियों को अग्रेनित करने का हकदार होगा ।

अध्याय 3----संसद् और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं

10क. निर्वाचन व्ययों और अभिदान रिपोर्टों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता----यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति--

(क) निर्वाचन व्ययों और अभिदान रिपोर्टों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको और उसकी निरर्हित घोनित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से पांच व-र् की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

भाग 4क : राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण---(1) भारत के व्यक्तिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,--

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

(ख) यदि संगम या निकाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात् बनाया जाता है तो उसके बनाए जाने की तारीख के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर किया जाएगा ।

(3) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर संगम या निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदाभिधान से जाना जाता है) हस्ताक्षर होंगे और वह आयोग के सचिव को पेश किया जाएगा या ऐसे सचिव को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :--

(क) संगम या निकाय का नाम ;

(ख) वह राज्य जिसमें उसका प्रधान कार्यालय स्थित है ;

(ग) वह पता जिस पर उसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं ;

(घ) उसके अध्यक्ष, सचिव, को-ाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम ;

(ङ) उसके सदस्यों की संख्या और यदि उसके सदस्यों के प्रवर्ग हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या ;

(च) क्या उसके कोई स्थानीय एकक हैं, यदि हैं, तो किन स्तरों पर हैं ;

(छ) क्या संसद् के या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है ; यदि किया जाता है तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या ।

(5) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दि-ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और नि-ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा । राजनैतिक अभिलाभ के लिए हिंसा से दूर रहेगा और मूलवंश जाति, पंथ, भा-ा या निवास स्थान पर आधारित विभेद या अंतर से बचेगा ।

(6) आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशि-टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

(7) आयोग अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशि-टियों और कोई अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या तो उस संगम या निकाय को इस भाग के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का, या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न करने का, विनिश्चय करेगा ; और आयोग अपना विनिश्चय ऐसे संगम या निकाय को संसूचित करेगा :

परंतु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं ।

(8) आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) किसी संगम या निकाय के यथापूर्वोक्त राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसके नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते या किन्हीं अन्य तात्त्विक वि-नयों में कोई तब्दीली आयोग को अविलंब संसूचित की जाएगी ।

29ख. राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना---

29ग. राजनैतिक दलों द्वारा लेखों का अनुरक्षण संपरीक्षा और प्रकाशन

(1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल उसके द्वारा प्राप्त सभी रकमों को स्प-टतः और पूर्णतः प्रकट करते हुए और उसके द्वारा उपगत व्यय को स्प-टतः और पूर्णतः प्रकट करते हुए लेखे बनाए रखेगा । लेखे वित्त व-र्ा के अनुसार बनाए रखे जाएंगे । प्रत्येक वित्त व-र्ा की समाप्ति के छह मास के भीतर प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए ऐसे लेखाकारों के पैनल से अर्ह और व्यवसाय कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित अपने लेखे निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे ।

(2) निर्वाचन आयोग उपधारा (1) के अधीन सभी राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षित लेखों को अपनी बेवसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ।

(3) निर्वाचन आयोग उनके प्रस्तुत करने के पश्चात् तीन व-र्ा तक फाइल पर इन लेखों को भी रखेगा और विहित फीस के संदाय पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उनहें उपलब्ध कराएगा ।

29घ, राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त अभिदाय की घो-णा : (1) किसी राजनैतिक दल का को-ााध्यख या इस बावत राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित की बावत प्रत्येक वित्त व-र्ा में रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात् :-

(क) उस वित्तीय व-र्ा में किसी व्यक्ति से ऐसे राजनैतिक दल द्वारा प्रापत बीस हजार रुपए से अधिक कुल अभिदाय सहित बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय ;

(ख) उस वित्तीय व-र्ा में सरकारी कंपनी से भिन्न किसी कंपनीसे ऐसे राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक कुल अभिदाय सहित बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय ;

(2) उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, राजनैतिक दल का को-ााध्यक्ष या इस बावत राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दि-ट रिपोर्ट में किसी सरकारी कंपनी से भिनन किसी व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त ऐसे अभिदायों की विशि-टियां प्रकट करेगा चाहे उस वित्तीय व-र्ा में राजनैतिक दल द्वारा यथा प्राप्त अभिदाय बीस हजार रुपए से कम है, यदि ऐसे अभिदाय बीस करोड़ रुपए या कुल अभिदाय के बीस प्रतिशत, जो भी कम हो ।

दृ-टांत : एक राजनैतिक दल स्क्र- वित्तीय वर्ष में नकद या चेक में कुल एक सौ करोड़ रुपए प्राप्त करता है । इस रकम में से, पचास करोड़ रुपए बीस हजार रुपए से कम (नकद या बहुल चेकों द्वारा) अभिदायों के माध्यम से अप्रकटित स्रोतों से प्राप्त हुए हैं । स्क्र- बीस करोड़ रुपए से परे सभी दाताओं की विशिष्टियां प्रकट करने का दाई होगा चाहे वे प्रत्येक बीस हजार रुपए से कम अभिदाय दिए हों ।

(3) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररुप में होगा जो विहित किया जाए ।

(4) उपधारा (1) के अधीन वित्तीय व-र्ा की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय व-र्ा की अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख के पूर्व राजनैतिक दल के को-ााध्यक्ष या इस बावत राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

स्प-टीकरण : शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्प-ट किया जाता है कि इस धारा में वर्णित ''विशि-टियां'' पद के अंतर्गत इस धारा में निर्दि-ट चंदा दी गई रकम

ऐसे व्यक्ति या कंपनी का नाम और पता और पैनकार्ड संख्या, यदि लागू हो, सम्मिलित होगा ।

29ङ राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत अभिदाय रिपोर्टों का प्रकटन -(1) निर्वाचन आयोग द्वारा 29घ के अधीन सभी राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत अभिदाय रिपोर्ट अपनी बेवसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ।

(2) निर्वाचन आयोग उनके प्रस्तुत करने के पश्चात् तीन व-र्ा तक फाइल पर भी इन रिपोर्टों को रेखेगा और विहित फीस के संदाय पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा ।

29च. राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय - (1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक राजनैतिक दल राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख के पचहत्तर दिनों या लोक सभा के निर्वाचन की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्वाचन व्यय का कथन प्रस्तुत करेगा जो निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरुप दल द्वारा अनुरक्षित ऐसे कथन की सत्य प्रति होगी ।

(2) बीस हजार रुपए से अधिक किसी निर्वाचन व्यय का संदाय तब तक राजनैतिक दल द्वारा चेक या ड्राफ्ट के द्वारा न कि नकद किया जाएगा जब तक कोई बैंकिंग सुविधा न हो या संदाय वेतन या प्रतिपूर्ति के बदले दल कार्यकारी का किया गया हो ।

29छ. शास्ति - (1) जहां किसी राजनैतिक दल का को-ाध्यक्ष या इस बावत राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति धारा 29घ की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दि-ट समय के भीतर विहित प्ररूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा राजनैतिक दल :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे वित्तीय व-र्ा के लिए किसी कर रहित का हकदार नहीं होगा ; और

(ख) अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए पचीस हजार रुपए की शास्ति और जब तक अननुपालन जारी रहता है, का दाई होगा ।

परंतु यदि ऐसा व्यतिक्रम नब्बे दिनों की अवधि के परे जारी रहता है तो निर्वाचन आयोग राजनैतिक दल को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसकी मान्यता समाप्त कर सकेगा ।

(2) यदि निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी पर किए गए सत्यापन से यह पाता है कि धारा 29घ की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट किसी विशि-टि में मिथ्या है तो निर्वाचन आयोग ऐसे राजनैतिक दल से अधिकतम पचास लाख रुपए

तक का जुर्माना उद्‌गृहीत करेगा ।

29ज. अननुज्ञेय दाता से अभिदाय स्वीकार करने वाले राजनैतिक दलों के लिए शास्ति - यदि कोई राजनैतिक दल किसी अननुज्ञेय दाता से उसे दिया गया कोई अभिदाय स्वीकार करता है तो वह ऐसे शास्ति के संदाय का दायी होगा जो ऐसे दाता से इस प्रकार स्वीकार किए गए रकम का पांच गुना है ।

स्प-टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अननुज्ञेय दाता'' से निम्नलिखित निर्दि-ट है :

(क) धारा 29ख में यथापरिभाि-त सरकारी कंपनी ;

(ख) ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती ; या

(ग) विदेशी अभिदाय विनियमन, अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाि-त कोई विदेशी स्रोत ।

भाग IVख : निर्वाचक न्यासों का विनियमन

29झ. अभिदाय स्वीकार करने के हकदार निर्वाचक न्यास - (1) कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्वाचक न्यास सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा उसको दिए गए स्वैच्छिक अभिदाय की किसी रकम को स्वीकार कर सकेगा :

परंतु कोई निर्वाचक न्यास विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन परिभाि-त किसी विदेशी स्रोत से कोई अभिदाय स्वीकार करने का पात्र नहीं होगा ।

परंतु यह और कि इस भाग में प्रयुक्त सभी शब्द और पद का वही अर्थ होगा जो धारा 29ख में उसका है ।

(2) निर्वाचक न्यासों द्वारा लेखों का अनुरक्षण, संपरीक्षा और प्रकाशन - (क) प्रत्येक निर्वाचन राजनैतिक दल उसके द्वारा प्राप्त सभी रकमों को स्प-टतः और पूर्णतः प्रकट करते हुए और उसके द्वारा उपगत व्यय को स्प-टतः और पूर्णतः प्रकट करते हुए लेखे बनाए रखेगा । लेखे वित्त व-र्ा के अनुसार बनाए रखे जाएंगे । प्रत्येक वित्त व-र्ा की समाप्ति के छह मास के भीतर प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए ऐसे लेखाकारों के पैनल से अर्ह और व्यवसाय कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित अपने लेखे निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे ।

(ख) निर्वाचन आयोग उपधारा (1) के अधीन सभी राजनैतिक दलों द्वारा

प्रस्तुत संपरीक्षित लेखों को अपनी बेवसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ।

(ग) निर्वाचन आयोग उनके प्रस्तुत करने के पश्चात् तीन व-र् तक फाइल पर इन लेखों को भी रखेगा और विहित फीस के संदाय पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा ।

3. निर्वाचक न्यास द्वारा प्राप्त अभिदाय की घो-णा - (क) किसी राजनैतिक दल का को-ाध्यख या इस बावत राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित की बावत प्रत्येक वित्त व-र् में रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात् :-

(i) ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन के साथ उस वित्तीय व-र् में किसी व्यक्ति से ऐसे निर्वाचक न्यास द्वारा प्राप्त अभिदाय ;

परंतु निर्वाचक न्यास या इस निमित्त न्यास द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति नकद में कोई चंदा नाम, पता और पैन (यदि कोई है) के बिना प्राप्त नहीं करेगा ;

(ii) तारीख, रकम, संदाय का ढंग और राजनैतिक दल के नाम के साथ उस वित्तीय व-र् में निर्वाचन न्यास से राजनैतिक दलों को अभिदाय।

परंतु निर्वाचक न्यास बैंक खाता अंतरण से भिन्न नकद में राजनैतिक दलों को कोई अभिदाय नहीं करेगा ।

(ख) इस उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररुप में होगा जैसा विहित कियिजाए ।

(ग) उपधारा (1) के अधीन वित्तीय व-र् के लिए रिपोर्ट निर्वाचक न्यास के को-ाध्यक्ष या न्यास द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रत्येक वित्तीय व-र् की समाप्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. निर्वाचक न्यासों द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत अभिदाय रिपोर्टों का प्रकटन - (क) निर्वाचन आयोग इस धारा की उपधारा (2) और (3) के अधीन सभी निर्वाचक न्यासों द्वारा प्रस्तुत अभिदाय रिपोर्टों को अपनी बेवसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ।

(ख) निर्वाचन आयोग उनके प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् तीन व-र् तक फाइल पर इन रिपोर्टों को भी रखेगा और विहित फीस के संदाय पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा ।

5. शास्ति - (1) जहां किसी निर्वाचक न्यास द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति धारा 29घ की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दि-ट समय के भीतर विहित प्ररूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का

43) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा निर्वाचक न्यास :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे वित्तीय व-र् के लिए किसी कर रहित का हकदार नहीं होगा ; और

(ख) अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए पचीस हजार रुपए की शास्ति और जब तक अननुपालन जारी रहता है, का दाई होगा ।

परंतु यदि ऐसा व्यतिक्रम नब्बे दिनों की अवधि के परे जारी रहता है तो निर्वाचन आयोग राजनैतिक दल को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसकी मान्यता समाप्त कर सकेगा ।

(2) यदि निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी पर किए गए सत्यापन से यह पाता है कि धारा 29घ की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट किसी विशि-टि में मिथ्या है तो निर्वाचन आयोग ऐसे राजनैतिक दल से अधिकतम पचास लाख रुपए तक का जुर्माना उद्गृहीत करेगा ।

(3) यदि कोई निर्वाचक न्यास किसी अननुज्ञेय दाता से उसे दिया गया कोई अभिदाय स्वीकार करता है तो वह ऐसे शास्ति के संदाय का दायी होगा जो ऐसे दाता से इस प्रकार स्वीकार किए गए रकम का पांच गुना है ।

स्प-टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अननुज्ञेय दाता'' से निम्नलिखित निर्दि-ट है :

(क) धारा 29ख में यथापरिभा-ित सरकारी कंपनी ;

(ख) ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती ; या

(ग) विदेशी अभिदाय विनियमन, अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभा-ित कोई विदेशी स्रोत ।

भाग IVग - राजनैतिक दलों का विनियमन

29ञ. राजनैतिक दलों की विरचना - (1) राजनैतिक दल इस देश के नागरिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से विरचित किए जा सकते हैं । राजनैतिक दल सरकार की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रणाली का संवैधानिकतः अभिन्न भाग गठित करेंगे ।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल अपना लक्ष्य और उद्देश्य को परिभा-ित करते हुए और इस भाग में विनिर्दि-ट वि-नयों का उपबंध करते हुए अपना संविधान विरचित करेंगे । राजनैतिक दल के लक्ष्य और उद्देश्य भारत के संविधान के किन्हीं उपबंधों से असंगत नहीं होंगे ।

(3) राजनैतिक दल भारत के संविधान में उपवर्णित लक्ष्यों और आदर्शों और

अपने उद्देश्यों और कारणों को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा और अनन्यतः अपनी निधियों का उपयोग करेगा ।

29ट. राजनैतिक दलों के नाम और वाद करने की शक्ति -(1) कोई राजनैतिक दल अपने नाम से वाद कर सकेगा और उसके नाम पर वाद लाया जा सकेगा । राजनैतिक दल संपत्तियों को धारित करने और व्यय करने के लिए सक्षम होगा ।

(2) किसी राजनैतिक दल का नाम किसी विद्यमान राजनैतिक दल के नाम से सुस्प-टतः विभेद्य होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा । निर्वाचन अभियानों और निर्वाचनों में केवल रजिस्ट्रीकृत नाम या उसके परिवर्णी नाम, जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, का ही उपयोग किया जाएगा ।

29ठ. राजनैतिक दल का गठन - राजनैतिक दल के गठन में निम्नलिखित वि-नयों का उपबंध होगा :-

(क) राजनैतिक दल और परिवर्णी (यदि उपयोग किया जाए) का नाम और दल का लक्ष्य और उद्देश्य ;

(ख) सदस्यों के प्रवेश, नि-कासन और उसके द्वारा पद त्याग की प्रक्रिया ;

(ग) सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और बाध्यताएं ;

(घ) ऐसे आधार जिन पर और प्रक्रिया जिसके अनुसार सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ;

(ङ) राज्य, क्षेत्रीय, जिला, खंड और ग्राम स्तर ईकाइयों की विरचना सहित दल का सामान्य संगठन ;

(च) दल की कार्यपालिक समिति (चाहे जिस नाम से इसे कहा जाए) और अन्य अंगों की संरचना और शक्तियां ;

(छ) ऐसी रीति जिसमें आम सभा बैठकों की अध्यपेक्षा और संचालन किया जा सकता है और सातत्यता, विलयन और ऐसे अन्य मूलभूत संगठनात्मक वि-नयों के प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए कन्वेंशन की अध्यपेक्षा करने और आयोजित करने की प्रक्रिया ;

(ज) इस भाग के उपबंधों से संगत दल के वित्तीय ढांचे का प्ररुप और अंतवर्स्तु ।

29ड. कार्यपालिक समितियां - राजनैतिक दल की कार्यपालिक समिति का निर्वाचन किया जाएगा । इसकी अवधि नियत व-र्ा से अधिक नहीं होगी । अवधि की समाप्ति के काफी पूर्व, नई कार्यपालिक समिति के निर्वाचन के लिए कदम

उठाए जाएंगे । वह कार्यपालिक समिति का कारबार क्रियान्वित करने के लिए और नियमित और अत्यावश्यक कार्यपालिक समिति कारबार चलाने के लिए उप-समिति (चाहे जिस नाम से कहा जाए) गठित करने के लिए स्वतंत्र होगा । उप-समिति के सदस्यों का निर्वाचन कार्यपालिक समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।

29ढ. मतदान प्रक्रिया - राजनैतिक दल और इसके अंग अपने संकल्प साधारण बहुमत के आधार पर अंगीकार करेंगे । मतदान गुप्त मत द्वारा होगा ।

29ण. अभ्यर्थी चयन - संसद् या राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों में खड़े होने के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबद्ध स्थानीय दल ईकाइयों द्वारा पारित सिफारिशों और संकल्पों पर सम्यक् ध्यान देते हुए राजनैतिक दल की कार्यपालिक समिति द्वारा किया जाएगा ।

29त. नियमित निर्वाचन - सभी स्तरों पर निर्वाचन कराने सहित इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना कार्यपालिक समिति का कर्तव्य होगा । राजनैतिक दल की कार्यपालिक समिति भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नामित संप्रेक्षको की उपस्थिति में रा-ट्रीय और राज्य स्तरों के निर्वाचन कराएगी । जहां आवश्यक समझा जाए, निर्वाचन आयोग अन्य रा-ट्रीय और राज्य स्तरों पर होने वाले निर्वाचनों में भी अपने संप्रेक्षण भेज सकेगा ।

29थ. अननुपालन के लिए शास्तियां - निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से या इस भाग के किन्हीं उपबंधों के अननुपालन के अभिकथन के बारे में प्राप्त सूचना पर जांच करने के लिए सक्षम होगा । यदि सम्यक् जांच पर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी राजनैतिक दल द्वारा इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों का अननुपालन किया गया है तो आयोग दल को उसके द्वारा विहित अवधि के भीतर अननुपालन को ठीक करने के लिए बुलाएगा । यदि अननुपालन इस प्रकार विहित अवधि के पश्चात् भी जारी रहता है तो निर्वाचन आयोग अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए प्रतिदिन 25000/- रुपए की शास्ति के अधिरोपण सहित मामले की परिस्थितियों में राजनैतिक दल पर ऐसा जुर्माना जो वह ठीक समझे अधिरोपित करने और दल के रजिस्ट्रीकरण को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

29द. लगातार दस व-र्षों तक निर्वाचनों में अभ्यर्थी खड़ा करने की असफलता के लिए शास्ति - (1) यदि इस अधिनियम की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई राजनैतिक दल लगातार दस व-र्षों तक लोक सभा या राज्य की विधान सभा का कोई निर्वाचन नहीं लड़ता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने का दायी होगा ।

(2) निर्वाचन आयोग धारा 29क के अधीन सभी राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण की संवीक्षा करेगा और यदि वह यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत दल ने लगातार दस व-र्षों तक लोक सभा या राज्य की विधान सभा का कोई निर्वाचन नहीं लड़ा है तो वह ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा ।

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1--अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

33. नामनिर्देशन-पत्र का उपस्थित किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं----(1) हर एक अभ्यर्थी विहित प्ररूप में पूरित और अपने द्वारा तथा निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को उस स्थान पर जो धारा 31 के अधीन निकाली गई सूचना में इस निमित्त विनिर्दि-ट है धारा 30 के खंड (क) के अधीन नियत तारीख को या के और पूर्व पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच या तो स्वयं या अपने प्रस्थापक द्वारा परिदत्त करेगा :

परन्तु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से तब तक नामनिर्देशित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि नामनिर्देशन-पत्र पर ऐसे दस प्रस्थापकों द्वारा, जो निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हों, हस्ताक्षर न किए गए हों :

परन्तु यह और कि कोई भी नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन हो :

परन्तु यह भी कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र की दशा में, ''निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों के दस प्रतिशत द्वारा या ऐसे दस निर्वाचकों द्वारा, इनमें से जो भी कम हो, प्रस्थापकों के रूप में'' के प्रति निर्देश हैं ।

(1क) उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए भी सिक्किम विधान सभा के (जो संविधान के अधीन उस राज्य की सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है) निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाने वाला नामनिर्देशन-पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से होगा जिन्हें विहित किया जाए :

परन्तु उक्त नामनिर्देशन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा यह दर्शाने के लिए हस्ताक्षरित किया जाएगा कि उसने नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति दे दी है अथवा---

(क) भूटिया-लेपचा उद्‌भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के बीस निर्वाचकों द्वारा भी;

(ख) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा भी ;

(ग) नेपाली उद्‌भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, प्रस्थापक के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा,

हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि रिटर्निंग आफिसर को कोई नामनिर्देशन-पत्र ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन है ।

(2) जिस निर्वाचन-क्षेत्र में कोई स्थान आरक्षित है उसमें कोई अभ्यर्थी उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित न समझा जाएगा जब तक कि उसके अपने नामनिर्देशन-पत्र में वह विशि-ट जाति या जनजाति जिसका वह सदस्य है और वह क्षेत्र जिसके संबंध में वह जाति या जनजाति उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है विनिर्दि-ट करने वाली उसके द्वारा की गई घो-णा अन्तर्वि-ट न हो ।

(3) जहां कि अभ्यर्थी धारा 9 में निर्दि-ट किसी पद को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो पदच्युत कर दिया गया है और पदच्युति से पांच व-र्ा की कालावधि बीती नहीं है वहां जब तक कि विहित रीति में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया यह प्रमाणपत्र कि वह भ्र-ट आचरण या राज्य के प्रति अभक्ति के लिए पदच्युत नहीं किया गया है उसके नामनिर्देशन-पत्र के साथ न हो तो ऐसा व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दि-ट हुआ न समझा जाएगा ।

(4) नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित किए जाने पर रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथाप्रवि-ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्थापक के नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक वे ही हैं जो निर्वाचक नामावलियों में प्रवि-ट हैं :

परन्तु निर्वाचक नामावली या नामनिर्देशन-पत्र में वर्णित अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बारे में या किसी स्थान के बारे में किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का और निर्वाचक नामावली में या नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली संख्यांकों के

बारे में लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का प्रभाव ऐसे व्यक्ति या स्थान की बाबत निर्वाचक नामावली या नामनिर्देशन-पत्र के पूरे प्रवर्तन पर किसी ऐसी दशा में नहीं पड़ेगा जिसमें उस व्यक्ति या स्थान के नाम के बारे में वर्णन ऐसा है जो सामान्यतः समझा जा सकने वाला है और रिटर्निंग आफिसर ऐसे किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल को शुद्ध किए जाने की अनुज्ञा देगा और जहां कि आवश्यक हो वहां यह निदेश देगा कि निर्वाचक नामावली में या नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी गलत नाम, अशुद्ध वर्णन, लेखन संबंधी, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल की अनुवेक्षा की जाए ।

(5) जहां कि अभ्यर्थी किसी भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक है, वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की या उसके सुसंगत भाग की एक प्रति या ऐसी नामावली में की सुसंगत प्रवि-टियों की एक प्रमाणित प्रति, जब तक कि वह नामनिर्देशन-पत्र के साथ फाइल न कर दी गई हो, संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पेश की जाएगी ।

(6) इस धारा की कोई भी बात किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र द्वारा नामनिर्दि-ट किए जाने से निवारित न करेगी :

परन्तु एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से न तो उपस्थित किए जाएंगे और न रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतिगृहीत किए जाएंगे ।

(7) इस अधिनियम की उपधारा (6) में या उसके किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति,----

(क) लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), एक से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(ख) राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), उस राज्य में एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(ग) राज्य की विधान परि-द् के लिए, जहां ऐसी परि-द् है, द्विवार्-िक निर्वाचन की दशा में, उस राज्य में एक से अधिक परि-द् निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(घ) किसी राज्य को आबंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिए राज्य सभा के लिए द्विवार्-िक निर्वाचन की दशा में, ऐसे एक से अधिक स्थानों को भरने के लिए ;

(ङ) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे एक से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(च) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से ;

(छ) राज्य को आबंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिए राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे एक से अधिक स्थानों को भरने के लिए ;

(ज) दो या अधिक परि-नद् निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परि-नद् के लिए, जहां ऐसी परि-नद् है, उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे एक से अधिक परि-नद् निर्वाचन-क्षेत्रों से,

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा ।

स्प-टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक उप-निर्वाचन साथ-साथ कराए गए तब समझे जाएंगे, जब ऐसे उप-निर्वाचनों की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा, यथास्थिति, धारा 147, धारा 149, धारा 150 या धारा 151 के अधीन एक ही तारीख को निकाली जाती है ।

अध्याय 7क : आस्तियों और दायित्वों की घो-णा

अध्याय 7ख : सरकार प्रायोजित विज्ञापनों पर प्रतिबंध

75ख. सरकार प्रायोजित विज्ञापनों पर प्रतिबंध - यथास्थिति, कोई केंद्रीय या राज्य सरकार लोकसभा या संबद्ध राज्य की विधानसभा की अवधि की समाप्ति की तारीख छह मास पूर्व अवधि के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बैनरों या होर्डिंग के माध्यम से या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया में केंद्रीय या राज्य सरकार की उपलब्धियों का कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी ।

"परंतु उपरोक्त निर्बंधन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों या स्वास्थ्य संबंधी किसी स्कीम से संबंधित सरकारों की उपलब्धियों के विज्ञापनों को लागू नहीं होंगे ; तथापि, ऐसे विज्ञापनों में किसी मंत्री या किसी राजनैतिक दल के नेता का नाम या फोटोग्राफ या किसी राजनैतिक दल का कोई प्रतीक नहीं होगा ।

अध्याय 8---निर्वाचन व्यय और लेखों का रखरखाव

77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा---(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, उस **तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी** और उस निर्वाचन के परिणामों की घो-णा, की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया

है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा ।

स्प-टीकरण 1---शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोन्ति किया जाता है कि,--

(क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायु यान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा मद्धे उपगत व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा**;**

(ख) सरकार की सेवा में और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के परन्तुक में यथावर्णित अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में या तात्पर्यित निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधाओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध में उपगत कोई व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा;

स्प-टीकरण 2--स्प-टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध में, ''राजनैतिक दल के नेताओं'' पद से,--

(i) जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, वहां संख्या में चालीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति, और

(ii) जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्याप्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या उस राज्य के राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित कर दिए गए हैं :

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड (i) में या खंड (ii) में निर्दि-ट व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह ऐसे राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर, नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी ।]

(2) लेखे में ऐसी विशि-टियां अन्तर्वि-ट होंगी जैसी विहित की जाएं ।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो विहित की जाए ।

77क. प्राप्त अभिदायों का लेखा - निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं द्वारा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त चंदों या अभिदायों की बावत निम्नलिखित विशि-टियों में लेखा भी रखेगा, अर्थात् :-

(क) निर्वाचन के लिए उसके दल से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अभिदाय की रकम ;

(ख) (i) किसी व्यक्ति ;

(ii) किसी कंपनी, जो सरकारी कंपनी हैं -

से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अभिदाय की रकम ;

(ग) उपरोक्त उपखंड (ख) में दाता का नाम, पता और पैनकार्ड ब्यौरा, यदि लागू हो ;

(घ) प्रत्येक अभिदाय की प्रकृति, विशि-टियों में, क्या यह -

(i) नकद ;

(ii) चेक ; या

(iii) सामान में भेंट हैं ;

(ङ) वह तारीख जिसको अभिदाय प्राप्त हुआ ।

स्प-टीकरण : किसी राजनैतिक दल द्वारा अपने अभ्यर्थी को सभी अभिदाय रेखांकित खाता धारक चेक या ड्राफ्ट या बैंक अंतरण द्वारा किया जाएगा ।

78. लेखे को जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल किया जाना--- [1][(1)] निर्वाचन में का हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों और अभिदान रिपोर्ट का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 और 77क के अधीन रखा है जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल करेगा ।

78क. लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत लेखे का प्रकटन :-

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी धारा 78 के अधीन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 36 द्वारा धारा 78 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्ययों और अभिदाय रिपोर्टों के लेखे अपनी बेवसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी इन रिपोर्टों के फाइल किए जाने के पश्चात् तीन व-र्ा तक फाइल पर रखेगा और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 88 के अधीन विहित फीस के संदाय पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उनहें उपलब्ध कराएगा ।

भाग 6 निर्वाचनों की बाबत विवाद

अध्याय 1----निर्वाचन

79. परिभा-ाएं---इस भाग में और भाग 7 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(घ) ''निर्वाचक अधिकार'' से ..... अभिप्रेत है ।

(ङ) ''उच्च न्यायालय'' से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह निर्वाचन हुआ है जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है; जहां कहीं लागू हो इस भाग में उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश से इस भाग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार सुसंगत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अभिहित निर्वाचन न्यायपीठ के निर्देश का सम्मिलित किया गया भी समझा जाएगा ;

(च) ''निर्वाचन अभ्यथी'' से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है .....

अध्याय 2---निर्वाचन अर्जियों का निर्वाचन आयोग को उपस्थित किया जाना

80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण---(1) उच्च न्यायालय ही निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय होगा ।

(2) ऐसी अधिकारिता मामूली तौर पर उच्च न्यायालय के निर्वाचन न्यायपीठ के रूप में अभिहित द्वारा प्रयुक्त की जाएगी और मुख्य न्यायमूर्ति उस प्रयोजन के लिए समय-समय पर एक या अधिक न्यायाधीश समनुदि-ट करेगा :

परंतु जहां कि उच्च न्यायालय केवल एक न्यायाधीश द्वारा गठित है, वहां वह उस न्यायालय को उपस्थापित सब निर्वाचन अर्जियों का विचारण करेगा ।

(3) जहां उच्च न्ययालय एक से अधिक राज्य में कार्य करता है या जहां उच्च न्यायालय की एक से अधिक न्यायपीठ है वहां निर्वाचन अर्जी सुसंगत उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ के समक्ष फाइल की जाएगी ।

स्प-टीकरण - उच्च न्यायालय स्वविवेकानुसार न्यायहित या सुविधानुसार उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से भिन्न न्यायपीठ या स्थान पर पूर्णतः या भागतः निर्वाचन अर्जी का विचारण कर सकेगा ।

82. अर्जी के पक्षकार---अर्जीदार अपनी अर्जी में प्रत्यर्थी के रूप में---

(क) उस दशा में, जिसमें कि अर्जीदार इस घो-णा के लिए कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घो-णा के लिए भी कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है दावा करता है, अर्जीदार से भिन्न निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और उस दशा मे, जिसमें कि ऐसी अतिरिक्त घो-णा के लिए दावा नहीं किया गया है सब निर्वाचन अभ्यर्थियों को ;

परंतु ऐसे मामलों में जहां अर्जीदार अतिरिक्त घो-णा करता है कि वह स्वयं या कोई अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है तो ऐसे किसी प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थी जो अपनी प्रतिभूति निक्षेप खो चुका है को अपनी अर्जी में प्रत्यर्थी के रूप में अर्जीदार द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा, और

(ख) उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी.....किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्र-ट आचरण के अभिकथन अर्जी में किए गए हैं ; संयोजित करेगा ।

अध्याय 3---निर्वाचन अर्जियों का विचारण

86. निर्वाचन अर्जियों का विचारण---(1) उच्च न्यायालय किसी निर्वाचन अर्जी को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती है ।

स्प-टीकरण---इस उपधारा के अधीन निर्वाचन अर्जी को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश धारा 98 के खंड (क) के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा ।

(2) उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी उपस्थापित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे उस न्यायाधीश को या उन न्यायाधीशों में से निर्दि-ट किया जाएगा जो निर्वाचन अर्जियों के विचारण के लिए मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा धारा 80क की उपधारा (2) के अधीन अभिहित किया गया है या किए गए हैं ।

> "(2क) (1) धारा 80क(2) के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा अभिहित एक या अधिक न्यायधीशों वाला एक या अधिक निर्वाचन न्यायपीठ होगी जो केवल इस भाग के उपबंधों के अनुसार पेशी की गई निर्वाचन अर्जियों पर ही विचार करेगी ।

(2) निर्वाचन अर्जी का विचारण इसकी समाप्ति तक दैनादिन आधार पर जारी रहेगा और निर्वाचन न्यायपीठ तब तक कोई स्थगन मंजूर नहीं करेगी जब तक पर्याप्त हेतु नहीं बनता है और स्थान चाहने वाले पक्षकार पर अनुकरणीय खर्च सहित खर्चा अधिरोपित कर सकेगी ।

(3) प्रत्येक निर्वाचन अर्जी का विचारण यथासंभव शीघ्र किया जाएगा और विचार के लिए उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर विचार समाप्त किया जाएगा ।

परंतु यदि विचारण छह मास के भीतर समाप्त नहीं किया जाता है तो अभिहित निर्वाचन न्यायपीठ लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को रिपोर्ट में विलंब का कारण स्प-ट करेगा ।

(4) प्रत्यर्थी समन की तामीली की तारीख से पैतालीस दिनों के भीतर लिखित कथन फाइल करेंगे ।

परंतु यदि निर्वाचन न्यायपीठ का समाधान हो जाता है कि प्रत्यर्थियों को पैतालीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह अतिरिक्त पंद्रह दिनों के भीतर लिखित कथन ग्रहण कर सकेगा, किंतु इसके पश्चात् नहीं ।

परंतु यह और कि ऐसी पंद्र दिन की अवधि की समाप्ति पर, प्रत्यर्थी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार समपहृत कर देंगे और निर्वाचन न्यायपीठ इसके पश्चात् अभिलेख पर लिखित कथन किए जाने की अनुज्ञा देगी ।

(3) जहां कि उसी निर्वाचन की बाबत एक से अधिक निर्वाचन अर्जियां उच्च न्यायालय को उपस्थापित की जाती हैं, वहां उनमें से सब उसी न्यायाधीश को विचारण के लिए निर्दि-ट की जाएंगी जो अपने विवेकानुसार निर्वाचन न्यायपीठ उनको पृथक्तः या एक या अधिक समूहों में विचारित कर सकेगा ।

(4) कोई अभ्यर्थी, जो पहले से ही प्रत्यर्थी न हों, ...

(5) उच्च न्यायालय खर्चों के बारे में और अन्यथा ऐसे निबंधनों पर,.....

(6) हटाया गया ।

(7) हटाया गया ।

98. उच्च न्यायालय का विनिश्चय---निर्वाचन अर्जी के विचारण की समाप्ति पर उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ --

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करने का, अथवा

(ख) यह घो-णा करने वाला कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, अथवा

(ग) यह घो-णा करने वाला कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है और अर्जीदार या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है

परंतु निर्वाचन न्यायपीठ का ऐसा आदेश बहस की समाप्ति से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा ।

आदेश करेगा ।

98क उच्च न्यायालय द्वारा आंकड़ों का संग्रहण और प्रकटन : (1) फाइल और लंबित निर्वाचन अर्जियों की संख्या, प्रत्येक अर्जी की प्रास्थिति, पक्षकारों के नाम और अभिहित न्यायपीठ से संबंधित पूरी जानकारी अनुरक्षित की जाएगी और उच्च न्यायालय द्वारा अपनी बेवसाइट पर लगातार नवीनतम की जाएगी ।

(2) निर्वाचन आयोग सभी उच्च न्यायालयों से उपधारा (1) में वर्णित जानकारी एकत्रित कर एक वार्-िक रिपोर्ट तैयार करेगा और वार्-िकतः अपनी बेवसाइट पर उक्त जानकारी को प्रकाशित करेगा ।

99. उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले अन्य आदेश---(1) धारा 98 के अधीन आदेश करते समय उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ --

(क) उस दशा में, जिसमें अर्जी में यह आरोप किया गया है कि निर्वाचन में कोई भ्र-ट आचरण किया गया है--

(i) यह नि-क-र्ा अभिलिखित करते हुए कि निर्वाचन में किसी भ्र-ट आचरण का किया जाना साबित हुआ है या साबित नहीं हुआ है और उस भ्र-ट आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए, तथा

(ii) उन सब व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों, जिनकी बाबत विचारण में यह साबित हुआ है कि वे किसी भ्र-ट आचरण के दो-ी हैं और उस आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए, तथा

(ख) संदेय खर्चों की कुल रकम को नियत करते हुए उन व्यक्तियों को विनिर्दि-ट करते हुए जिनके द्वारा और जिनको खर्च दिए जाएंगे,

आदेश भी करेगाः

परंतु जब तक उस व्यक्ति को, जो अर्जी का पक्षकार नही है--

(क) उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ के समक्ष उपसंजात होने के लिए और यह हेतुक दर्शित करने की कि उसे क्यों न ऐसे नामित किया जाए, सूचना न दे दी गई हो, तथा

(ख) यदि वह सूचना के अनुसरण में उपसंजात होता है, तो उस उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ द्वारा पहले ही जिस साक्षी की परीक्षा की जा चुकी है और जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है उसकी प्रतिपरीक्षा करने का, अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने या कराने का और अपनी सुनवाई का अवसर न दे दिया गया है, उसे खण्ड (क) के उपखंड (ii) के अधीन आदेश में नामित न किया जाएगा

(2) इस धारा में और धारा 100 में ''अभिकर्ता'' पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 123 में है ।

100. निर्वाचन को शून्य घोि‍त करने के आधार---[1][(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यह कि यदि उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ की यह राय है कि-

(क) निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की तारीख को स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए संविधान या इस अधिनियम के [या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के अधीन अर्हित नहीं था या निरर्हित कर दिया गया था, अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्र-ट आचरण किया गया है, अथवा

(ग) कोई नामनिर्देशन अनुचित रूप से प्रतिक्षेपित किया गया है ; अथवा

(घ) जहां तक कि निर्वाचन का परिणाम निर्वाचित अभ्यर्थी से सम्पृक्त है, वहां तक निर्वाचन परिणाम---

(i) किसी नामनिर्देशन के अनुचित प्रतिग्रहण से, अथवा

(ii) ऐसे किसी भ्र-ट आचरण से, जो निर्वाचित अभ्यर्थी के हित में उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा किया गया है ; अथवा

(iii) किसी मत के अनुचित तौर पर लिए जाने के इन्कार करने या प्रतिक्षेपित किए जाने के या ऐसे किसी मत के लिए जाने के, जो शून्य हो, कारण से, अथवा

[1] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 55 द्वारा उपधाराओं (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iv) संविधान के या अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबंधों के किसी अनुपालन से, तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है,

तो उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की बाबत यह घो-णा करेगा कि वह शून्य है ।

(2) यदि उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ की यह राय है कि निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा किसी भ्र-ट आचरण का दो-ी रहा है किन्तु उच्च न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि--

(क) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में ऐसा कोई भ्र-ट आचरण नहीं किया था और हर ऐसा भ्र-ट आचरण अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के आदेशों के प्रतिकूल था उसका सम्मति के बिना किया गया था,

(ग) अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में भ्र-ट आचरण किए जाने का निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय किए थे, तथा

(घ) निर्वाचन अन्य सब बातों में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं में से किसी की तरफ से किसी भी भ्र-ट आचरण से मुक्त था,

तो उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य नहीं है ।

102. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया---यदि निर्वाचित अर्जी के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत के जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोि-त किए जाने का हकदार हो जाएगा, तो---

(क) रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई विनिश्चय वहां तक, जहां तक कि उन अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न का अवधारण करता है, उस अर्जी के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा, तथा

(ख) जहां तक कि वह प्रश्न ऐसे विनिश्चय द्वारा अवधारित नहीं हुआ है, वहां तक उच्च न्यायालयकी निर्वाचन न्यायपीठ उनके बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ था ।

अध्याय 4--- निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण और उपशमन

109. निर्वाचन अर्जियों के प्रत्याहरण---(1) निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण केवल उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ की इजाजत से ही किया जा सकेगा ।

(2) जहां कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन किया गया है, वहां उसकी सूचना जिसमें आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख नियत हो अर्जी के अन्य सब पक्षकारों को दी जाएगी और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

112. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन---(1) निर्वाचन अर्जी का उपशमन एकमात्र अर्जीदार की या कई अर्जीदारों में से उत्तरजीवी की मृत्यु पर होगा।

(2) जहां कि किसी निर्वाचन अर्जी का उपधारा (1) के अधीन उपशमन हो जाता है वहां उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ उस तथ्य का ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशन करवाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो स्वयं अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रतिभूति के बारे में शर्तों का, यदि कोई हों, अनुपालन करने पर ऐसे प्रतिस्थापित किए जाने का और कार्यवाहियों को ऐसे निबन्धनों पर चालू रखने का, जैसे उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ ठीक समझे, हकदार होगा ।

अध्याय 4क---अपीलें

116क. उच्चतम न्यायालय में अपीलें---(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी किसी उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए हर आदेश से विधि के किसी भी प्रश्न पर अपील उच्चतम न्यायालय में होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन हर अपील उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ के धारा 98 या धारा 99 के अधीन के आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी :

परंतु यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अर्जीदार तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित रहा तो वह अतिरिक्त तीस दिनों के भीतर अर्जी ग्रहण कर सकेगा किंतु इसके पश्चात् नहीं ।

(3) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अपील का यथासंभव शीघ्र विचारण किया जाएगा और उस तारीख जिसको सुनवाई के लिए अपील उच्चतम न्यायालय में पेश की गई है से तीस मास के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा ।

116ख. उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन का रोका जाना---(1) उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए आवेदन, उस आदेश से अपील करने के लिए अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ को किया जा सकेगा और उच्च न्यायालय, पर्याप्त हेतुक के दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा ; किन्तु उच्चतम न्यायालय को अपील कर देने के पश्चात्, रोकने के लिए कोई भी आवेदन, उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ को नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां कि धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, वहां उच्चतम न्यायालय, पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसकी अपील की गई है, रोक सकेगा ।

(3) जहां किसी आदेश का प्रवर्तन, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ द्वारा रोका जाता है, वहां उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वहां धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन कभी भी प्रभावी नहीं हुआ ; और उस रोक आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को और, यथास्थिति, संसद् के या सम्पृक्त राज्य विधान-मंडल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को तुरंत भेजी जाएगी ।

अध्याय 5----खर्चे और खर्चों के लिए प्रतिभूति

117. खर्चों के लिए प्रतिभूति---(1) निर्वाचन अर्जी के उपस्थापन के समय अर्जीदार उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार अर्जी के खर्चों के लिए प्रतिभूति के रूप में दस हजार रुपए की राशि का निक्षेप उच्च न्यायालय में करेगा ।

परंतु यदि उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ का समाधान हो जाता है कि याची को दस हजार रुपए की उक्त रकम को जमा करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो वह ऐसे समय के विस्तार की मंजूरी दे सकेगा जैसा वह युक्तियुक्त समझे और अर्जी खारिज कर सकेगा यदि रकम विनिर्दि-ट विस्तारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है ।

(2) निर्वाचन अर्जी के विचारण के दौरान उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ किसी भी समय अर्जीदार से खर्चों के लिए ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसी वह निर्दि-ट करे ।

119. खर्चे---खर्चों का अधिनिर्णय उच्च न्यायालय की निर्वाचन न्यायपीठ के विवेकाधीन होगा :

परन्तु जहां कि अर्जी धारा 98 के खण्ड (क) के अधीन खारिज की जाती है, वहां निर्वाचित अभ्यर्थी ने अर्जी का प्रतिविरोध करने में जो खर्च उपगत किए हैं उन्हें पाने का वह हकदार होगा और उच्च न्यायालय खर्चे का आदेश निर्वाचित अभ्यर्थी के पक्ष में तदनुसार करेगा ।

भाग 7 भ्र-ट आचरण और निर्वाचन अपराध

अध्याय 1--- भ्र-ट आचरण

123. भ्र-ट आचरण---निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्र-ट आचरण समझे जाएंगे ---

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न :

परन्तु ---

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दि-ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो---

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहि-कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या नि-कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

(iii) समाचारों के लिए संदत्त करता है,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है ;

अध्याय 3 --- निर्वाचन अपराध

126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त हाने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रति-ध---(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,---

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) किसी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किसी निर्वाचन वि-नय का प्रकाशन, प्रचार या प्रसार नहीं करेगा ; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्-ित करने की दृ-टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; कारावास से, जिसकी अवधि दो व-र् तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2क) कोई न्यायालय तब तक उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक निर्वाचन आयोग या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी के आदेश या उसके प्राधिकार के अधीन किया गया परिवाद न हो ।

स्प-टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, --

(क) ''निर्वाचन वि-नय'' से निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित या असर पहुंचाने के लिए आशयित या विचारित कोई वि-नय अभिप्रेत है ।

(ख) ''इलेक्ट्रानिक मीडिया'' के अंतर्गत सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति या दोनों के स्वामित्वाधीन इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजम, सैटेलाइट, भू-क्षेत्रीय या केबिल चैनल, मोबाइल या ऐसी अन्य मीडिया सहित इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन है ;

(ग) ''प्रिंट मीडिया'' के अंतर्गत कोई समाचारपत्र मैगजीन या पाक्षिक, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंड बिल या कोई अन्य दस्तावेज है ;

(घ) "प्रचार" के अंतर्गत किसी "प्रिंट मीडिया" पर प्रकाशन या किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसार या प्रदर्शन सम्मिलित है ।

126ख. कंपनियों द्वारा अपराध - (1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध .....

126ग. रायशुमारी से संबंधित प्रकटन -- (1) कोई व्यक्ति परिणामों के साथ निम्नलिखित उपलब्ध कराए बिना रायशुमारी के परिणामों का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करेगा :

(क) सर्वेक्षण के प्रायोजक कानाम ;

(ख) उस व्यक्ति या संगठन का नाम जिसने सर्वेक्षण संचालित किया ;

(ग) वह तारीख जिसको या अवधि जिसके दौरान सर्वेक्षण किया गया ;

(घ) वह जनसंख्या जहां से प्रत्यर्थियों के नमूने लिए गए ;

(ङ) उन लोगों की संख्या जिनसे सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए संपर्क किया गया ;

(च) यदि लागू हो, अभिप्राप्त आंकड़े की बावत त्रुटि का मार्जिन ;

(छ) यह घो-णा कि परिणाम पूर्वानुमान प्रकृति के है और निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति से प्रमुखतः प्रदर्शित किए जा रहे हैं ;

(ज) कोई अन्य सूचना जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना के अलावा, रायशुमारी का प्रकाशक या प्रसारक रायशुमारी के प्रकाशन या प्रसारण के पश्चात् चौबीस घंटे की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दि-ट सर्वेक्षण के परिणामों पर लिखित रिपोर्ट की प्रति अपनी बेवसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दि-ट रिपोर्ट में यथा लागू निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(क) सर्वेक्षण के प्रयोजक का नाम और पता ;

(ख) उस व्यक्ति या संगठन का नाम और पता जिसने सर्वेक्षण किया ;

(ग) वह तारीख जिसको या वह अवधि जिसके दौरान सर्वेक्षण किया गया;

(घ) ऐसा आंकड़ा एकत्र करने के लिए प्रयुक्त तरीके के बारे में जानकारी जिससे सर्वेक्षण परिणाम व्युत्पन्न किया गया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :

(i) नमूना तरीका ;

(ii) वह जनसंख्या जिनसे नमूना लिया गया ;

(iii) आरंभिक नमूने का आकार ;

(iv) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनसे सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए कहा गया और संख्या तथा उनमें से संबद्ध प्रतिशतता जिन्होंने सर्वेक्षण में भाग लिया, सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार किया और सर्वेक्षण में भाग लेने के अपात्र थे ;

(v) साक्षात्कार की तारीख और समय ;

(vi)ऐसे भागीदार जिन्होंने कोई राय नहीं दी, असमंजस में थे या सर्वेक्षण के किन्हीं या सभी प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे, के परिणामों से सर्वेक्षण में ध्यान देते हुए आंकड़ों के पुनगणन में प्रयुक्त तरीका, और

(vii) सर्वेक्षण के परिणाम निकालने में प्रयुक्त कोई महत्वपूर्ण कारक या सामान्यीकृत प्रक्रिया ; और

(ङ) सर्वेक्षण प्रश्नों की भाषा और यदि लागू हो, अभिप्राप्त आंकड़ों की बावत त्रुटि का मार्जिन ;

(च) उपधारा (1) के अधीन प्रकटन की प्रति के साथ यथा प्रकाशित रायशुमारी की प्रति ।

(4) निर्वाचन आयोग ऐसी रीति जिसमें उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रकटन किया जाना है के बारे में आगे अधिसूचनाएं जारी कर सकेगा ।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहली दोषसिद्धि पर जुर्माना जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा, से दंडित किया जाएगा ।

(6) कोई न्यायालय तब तक इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक निर्वाचन आयोग या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी के आदेश द्वारा या उनके प्राधिकार के अधीन शिकायत न की गई हो ।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''रायशुमारी'' से ऐसा सर्वेक्षण कि मतदाता कैसे किसी निर्वाचन में मतदेंगे या किसी अभ्यर्थी अभ्यर्थियों के समूह या राजनैतिक दल से संबंधित मतदाताओं का अधिमान अभिप्रेत है ।

127क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन---(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचक पुस्तिका या पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न मुद्रित और प्रकाशित कराएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को -

(क) उस दशा में के सिवाए न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्ता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित या ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतिक घो-णा मुद्रक को परिदत्त कर देता है ; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाए न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रण घो-णा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित, -

(i) उस दशा में, जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को ; तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रतियां के बावत, जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न हैं, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ; तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रतिनिर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है किंतु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशि-टियों को केवल अख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अंतर्गत नहीं आता ।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी एक का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

126ध. कंपनियों द्वारा अपराध--(1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दो-ी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दो-ी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्प-टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यन्टि संगम भी है ; और

(ख) ''निदेशक'' से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

भाग V : संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की गणना

66क. जहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया है मतों की गणना--- जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना के संबंध में---

(i) नियम 50 से 54 के उपबंध और नियम 55, 56 और 57 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्:---

"55ग. **मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण**---

56ग. मतों की गणना---(1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे "परिणाम" (Result) चिह्नित उपयुक्त बटन को दबा कर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे ।

(2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए मतों का संप्रदर्शन किया जाता है, रिटर्निंग आफिसर --

(क) प्ररूप 17ग के भाग 2 में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत ऐसे मतों की संख्या अलग-अलग अभिलिखित कराएगा ;

(ख) प्ररूप 17ग का भाग 2 अन्य संदर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएगा ; और

(ग) परिणाम शीट प्ररूप 20 में तत्स्थानी प्रविि-टियां कराएगा और परिणाम शीट में इस प्रकार दर्ज विशिि-टियों की घो-णा कराएगा ।

(2क) समुचित मामले में, जहां निर्वाचन आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के अभित्रास और उत्पीड़न की आशंका प्रतीत होती है और उसकी यह राय है कि मतदान मशीन में अभिलिखित मतों का गणना के पूर्व मिश्रित किया जाए तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को विनिर्दि-ट कर सकेगा जहां रिटर्निंग अधिकारी इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के समूह में अभिलिखित मतों की गणना के लिए योगमापी का उपयोग करेगा ।

57ग. मतदान मशीनों का मुद्राबंद करना----

भारत का संविधान 1950 के संशोधन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना द्व (1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा रा-ट्रपति और उपरा-ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने रा-ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रा-ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(2क) (1) निर्वाचन आयोग का पृथक स्वतंत्र और स्थायी अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द होगा ।

(2) निर्वाचन आयोग स्वयं द्वारा विहित नियमों द्वारा अपने स्थायी अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा-शर्तें विनियमित करेगा ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परि-ाद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परि-ाद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवार्-िाक निर्वाचन से पहले, रा-ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।

(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो रा-ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे :

परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी

नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, रा-ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

दसवीं अनुसूची : दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता से संबंधित उपबंध

1. **निर्वचन** – .....

2. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता** -- .....

4. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना.....**

5. **छूट .....**

6. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय** – (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं ।

7. **न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन .....**

निवार्चन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कारबार संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के संशोधन

निवार्चन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तें और कारबार संव्यवहार) अधिनियम, 1991

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का अवधारण करने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार संचालन की प्रक्रिया का उपबंध करने और उससे संबद्ध या आनु-ांगिक वि-ायों के लिए अधिनियम :

अध्याय 1 - प्रारंभ

1. **संक्षिप्त नाम** - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निवार्चन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तें और कारबार संव्यवहार) अधिनियम, 1991 है ।

2. परिभा-ाएं -

अध्याय 1क - मुख्य निर्वाच आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति

2क. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति - मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति रा-ट्रपति द्वारा निम्न से मिलकर बनी समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा की जाएगी :

(क) भारत का प्रधानमंत्री - अध्यक्ष

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता - सदस्य,

(ग) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति - सदस्य,

परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा पद का धारण समाप्त करने के पश्चात्, वरि-ठतम निर्वाचन आयुक्त को तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा जब तक उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे निर्वाचन आयुक्त को अयोग्य नहीं पाती ।

स्प-टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''लोक सभा में विपक्ष का नेता'' का अभिप्राय, जब ऐसे किसी नेता को इस प्रकार मान्यता न दी गई हो, लोक सभा में सरकार के विपक्ष में एकल सर्वाधिक समूह के नेता से है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के संशोधन

182. राजनीतिक अभिदायों के संबंध में प्रति-ेध और निर्बंधन -- (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतवि-ट किसी बात के होते हुए भी, सरकारी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ऐसी कोई कंपनी, जो तीन वित्तीय व-र् से कम की अवधि से विद्यमान रही है, किसी धनराशि या धनराशियों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी राजनीतिक दल को अभिदाय कर सकेगी :

परंतु, यथास्थिति, ऐसी राशि या राशियों का योग, जिसका किसी वित्तीय व-र् में कंपनी द्वारा इस प्रकार अभिदाय किया जा सकेगा, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय व-ोंर् के दौरान उसके औसत शुद्ध लाभों के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि कंपनी द्वारा ऐसा कोई अभिदाय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभिदाय करने के लिए प्राधिकार देने वाला संकल्प निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में पारित नहीं कर दिया गया हो और ऐसे संकल्प को, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा प्राधिकृत अभिदाय करने और उसे प्राप्त करने के लिए विधि में न्यायसंगत समझा जाएगा ।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के संशोधन

13क. राजनीतिक की आय से संबंधित विशे-ा उपबंध - किसी राजनीतिक दल की कोई आय जो ''गृह संपत्ति से आय'' या ''अन्य स्रोत से आय'' या ''पूंजी अभिलाभ'' या किसी व्यक्ति से किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय के माध्यम से किसी आय शी-र्ा के अधीन प्रभार्य है, ऐसे राजनीतिक दल की पूर्व व-र्ा की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परंतु --

(क) ऐसा राजनीतिक दल ऐसी लेखा-बही और अन्य दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा जो मूल्यांकन अधिकारी को उससे उसकी आय में समुचित रूप से कटौती करने के लिए समर्थ बनाए ;

(ख) 20 हजार रुपए से अधिक प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की बावत, ऐसा राजनीतिक दल ऐसे अभिदाय का अभिलेख और उस व्यक्ति जिसने ऐसा अभिदाय दिया है का नाम और पता रखेगा और बनाए रखेगा ; और

(ग) ऐसे राजनीतिक दल के लेखे की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्प-टीकरण में यथा परिभाि-त लेखापाल द्वारा किया जाता है :

परंतु यह और कि यदि ऐसे राजनीतिक दल का को-ाध्यक्ष या इस बावत उस राजनीतिक दल द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वित्तीय व-र्ा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29घग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इस धारा के अधीन ऐसे वित्तीय व-र्ा के लिए उस राजनीतिक दल को कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

स्प-टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''राजनीतिक दल'' से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल अभिप्रेत हैं ।